XXXIX(a)BR(H)-11

सुशीला तिवारी विरूद्ध श्रीमती पूनम चतुर्वेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

[illegible]रण कमाक – निग.[illegible] –दो/[illegible]4

जिला – सीहोर

[illegible]	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एव आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09–10–06 के विरूद्ध दिनांक 8–7–14 को अर्थात 7 वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश की गई है । विलंब के आवेदन में जो कारण विलंब के संबंध में दिए गए हैं वे वे प्रथमदृष्टया समाधानकारक प्रतीत नहीं होते हैं । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रति दिन के विलंब का समाधानकारक स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) सदस्य	

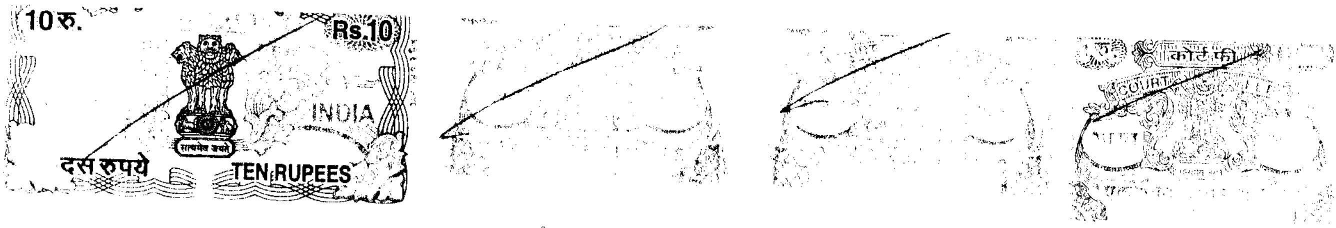

सुशीला तिवारी पत्नी श्री सी0पी0तिवारी निवासी धवारी पूनम भवन के पीछे सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)-----**निगराकार**

बनाम

1. श्रीमती पूनम चतुर्वेदी पत्नी स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
2. ममता पुत्री स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
3. प्रमोद चतुर्वेदी तनय स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
4. संजय चतुर्वेदी तनय स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
5. राजेश चतुर्वेदी तनय स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
6. रोशनी पुत्री स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदी
7. सुशील तनय स्व0केदार प्रसाद चतुर्वेदि

   सभी निवासी ग्राम महदेवा तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

8. शासन म0प्र0--------------------------गैर निगराकारगण